संख्या-476/2025/192के-2/22-3-2024-17(120)/18

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 14 अक्टूबर, 2025

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मेवालाल पुत्र श्री हेमराज, निवासी जनपद-उन्नाव की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-20506/प्रो0अनु0(2)-240/सला0समिति/(एम-दिनांक 01.12.2022), दिनांक 09.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मेवालाल (बंदी संख्या-17037) पुत्र श्री हेमराज, जो ग्राम-मेहरबान खेडा मजरा मेथी टीकुर, थाना-माखी, जनपद-उन्नाव का निवासी है। दो पक्षों के मध्य चली आ रही पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 11-02-2001 को बंदी ने 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, लाठी व कुल्हाडी से 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-228/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149, 452, 404 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट, उन्नाव के आदेश दिनांक 18.12.2004 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। रजिस्टर नं0-1 के अनुसार दिनांक 10-11-2022 तक बन्दी की आयु 51 वर्ष, 09 माह, 27 दिन है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा हत्या का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी की सामाजिक-आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी द्वारा 05 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। साथ ही मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट, उन्नाव द्वारा अपने अभिमत में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता/जघन्यता के दृष्टिगत सीआर0पी0सी0 की धारा-432 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मेवालाल पुत्र श्री हेमराज को उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 (उ0प्र0 जेल मैनुअल, 2022 के प्रस्तर-180) के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मेवालाल (बंदी संख्या-17037) पुत्र श्री हेमराज, निवासी जनपद-उन्नाव की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-192(1)के-2/22-3-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।